संख्या–1029/33–3–2020–114/2012 टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 16 जून, 2020

विषय– कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें।

2. उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1947 की धारा–15 (तेईस) (ख) में महामारियों के विरूद्ध रोकथाम को ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों में रखा गया है। इस क्रम में पूर्व में निर्गत प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–883/33–3–2020–114/ 2012 टी. सी., दिनांक 03 अप्रैल, 2020 एवं मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश सं0–1031/पॉच–5–2020, दिनांक 01 मई, 2020 के माध्यम से विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नानुसार गठित निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं :–

- ग्राम प्रधान–अध्यक्ष
- ग्राम पंचायत सचिव–सदस्य, सचिव
- ग्राम पंचायत की समस्त आशा –सदस्य
- ग्राम पंचायत की समस्त आंगनबाडी कार्यकत्री –सदस्य
- ग्राम पंचायत की समस्त राशन डीलर –सदस्य
- ग्राम पंचायत लेखपाल –सदस्य
- ग्राम पंचायत रोजगार सेवक –सदस्य
- ग्राम पंचायत का स्वच्छाग्रही–सदस्य
- ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल के सदस्यगण–सदस्य
- ग्राम पंचायत का चौकीदार–सदस्य

3. कोविड–19 के क्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र में लागू किए जाने वाले निर्देश संलग्नक–1 पर हैं। इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. भारत सरकार से प्राप्त कोविड–19 के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्तरीय ग्राम निगरानी समितियों के लिए चेकलिस्ट संलग्नक–2 पर है।

Manoj

ग्राम पंचायत द्वारा पाक्षिक रुप से आख्या पंचायतीराज विभाग द्वारा तैयार किये गये एप के माध्यम से अपडेट करायी जायेगी। सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव का होगा, सचिव की अनुपलब्धता में जिलाधिकारी द्वारा अन्य शासकीय कर्मी को नामित किया जा सकेगा।

5. कोविड–19 के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही सभी गतिविधियों का अनुश्रवण का दायित्व ग्राम निगरानी समिति का होगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 16.6.20

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0।
9. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
11. निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0।
14. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
15. समस्त उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner